प्रकरण संख्या 12/2019 RCMS ID-2019/00197 तारीख रजु–22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, सपोटरा, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – प्रार्थी

बनाम

मनोहरी लाल बैरवा, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत–खेडला, तहसील–सपोटरा, जिला–करौली – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड किये गये 2.53 क्विं. गेहूं एवं 22.44 लीटर केरोसीन को राजसात् करने बाबत्।

निर्णय

दिनांक–14.10.2019

यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत अदालत हाजा में प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरण संख्या 22/17 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली में प्रस्तुत अपील संख्या 40/2018 उनवानी मनोहर उर्फ मनोहरीलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2019 से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि उनके द्वारा दिनांक 19.06.2017 को अप्रार्थी डीलर श्री मनोहरी लाल बैरवा की दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। अप्रार्थी डीलर की दुकान पर क्रय विक्रय सहकारी समिति करौली से प्राप्त सूचना के आधार पर सितं. 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 867.82 क्विं. गेंहूं की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.09.2016 से 16.03.2017 तक कुल 829.60 क्विं. गेंहूं का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर गेंहूं का अवशेष स्टॉक 38.22 क्विं. होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 40.75 क्विं. गेंहूं पाया गया जो वास्तविक स्थिति से 2.53 क्विं. गेंहूं अधिक था। डीलर की दुकान पर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक कुल 7400 लीटर केरोसीन की आमद हुई जिसमें से डीलर ने 01.10.2016 से 16.03.2017 तक कुल 5682.44 लीटर केरोसीन का वितरण कर दिया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण डीलर की दुकान पर केरोसीन तेल का अवशेष स्टॉक 1717.56 लीटर होना चाहिये था किन्तु वक्त निरीक्षण दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर 1740 लीटर केरोसीन तेल पाया गया जो वास्तविक स्थिति से 22.44 लीटर, केरोसीन तेल अधिक था। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा ने यह प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत गलत प्रस्तुत किया है। दिनांक 19.06.2017 को किये गये भौतिक सत्यापन में स्टॉक सही पाया गया था। माह सितंबर 2016 से पूर्व का शेष स्टॉक 2 क्विं. 53 किलो गेहूं माह सितंबर से पूर्व का शेष स्टॉक पोश मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था तथा वक्त निरीक्षण जवाबदार के स्टॉक में उपलब्ध गेहूं को नहीं तौला गया और ना ही केरोसीन को नापा गया था। माह अक्टूबर 2016 से पूर्व केरोसीन का बकाया स्टॉक 18.82 लीटर था जिसे जोडा नहीं था। 18.82 लीटर केरोसीन माह अक्टूबर 2016 से पूर्व का शेष स्टॉक पोस मशीन एवं स्टॉक

जिला कलक्टर
करौली

रजिस्टर में दर्ज था। दिनांक 19.06.2017 की फर्द रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक में स्टाक सही था। जवाबदार ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। अंत में प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया है।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य शपथपत्रों का विवेचन किया गया। दिनांक 19.06.2017 को किये गये अंकेक्षण/भौतिक सत्यापन में अप्रार्थी के स्टॉक में 38.22 क्विं. की अपेक्षा 40.75 क्विं. गेंहूं एवं 1717.56 लीटर की अपेक्षा 1740 लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार गेंहूं 2.53 क्विं. एवं 22.44 लीटर केरोसीन अधिक पाया गया। अप्रार्थी का कथन कि सामग्री को ना तो तौला गया है ना ही मापा गया है। प्रार्थी द्वारा सामग्री की विधिवत् तौल–माप किये जाने के के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अप्रार्थी के पास बहुत कम मात्रा में अधिक स्टॉक पाया गया है जिसकी कालाबाजारी किये जाने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जब्तशुदा गेंहूं 2.53 क्विं. एवं 22.44 लीटर केरोसीन को वापित अप्रार्थी को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तशुदा गेंहूं व केरोसीन को वापिस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जावे। यदि इसका निस्तारण कर दिया हो तो प्राप्त राशि को अप्रार्थी को वापिज दिया जावे। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली